**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1090**

**23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: आलू उत्‍पादकों को सहायता प्रदान करना**

**1090 श्री आर0सी0सिंह:**

**श्री के0ई0इस्‍माइल:**

क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्‍या यह सच है कि देश भर के आलू उत्‍पादक दो बम्‍पर फसलों के पश्‍चात घाटे में आलू बेचने या खुले में फेंकने के लिए बाघ्‍य हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) ऐसी स्‍थिति में किसानों की सहायता करने के लिए सरकार की क्‍या योजना हैं ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉं. चरण दास महन्‍त)**

**(क)से(ग):** वार्षिक रुप से देश में फसल के दो मौसमों खरीफ व रबी में आलू का उत्‍पादन किया जाता है । खरीफ उत्‍पाद अगस्‍त से अक्‍टूबर तक मण्‍डी में उपलब्‍ध होता है, जो 15% से 20% तक होती है । रबी फसल की कटाई मध्‍य-दिसम्‍बर से मध्‍य-अप्रैल तक की जाती है, जो 80% से 85% तक होता है । केवल रबी आलू को नवम्‍बर तक स्‍टोर किया जाता है और लगातार घरेलू तथा निर्यात मण्‍डी हेतु उपलब्‍ध कराया जाता है । आम तौर पर, जनवरी से मार्च तक मूल्‍य न्‍यूनतम रहते हैं, क्‍योंकि रबी फसल की अधिक आवक के कारण मूल्‍यों में गिरावट आती है । वर्तमान वर्ष (2011-12) के दौरान देश में आलू उत्‍पादन लगभग 436.45 लाख एमटी होने की आशा है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है । आलू के मूल्‍य कुल मिलाकर मांग व आपूर्ति की मण्‍डी के जोर से संचालित होते हैं । विभिन्‍न उत्‍पादन मण्‍डियों में आलू के मॉडल मूल्‍य वर्तमान में 350 से 450 रु0 प्रति क्‍विंटल के बीच है और उपभोज्‍य मण्‍डी में 450 से 1000 रु0 प्रति क्‍विंटल के बीच है ।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, राज्‍य सरकारों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कृषि एवं बागवानी जिन्‍सों की खरीद हेतु मण्‍डी हस्‍तक्षेप स्‍कीम (एमआईएस) कार्यान्‍वित करता है, जिसके अंतर्गत हानियां, यदि कोई हों, को केन्‍द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्‍य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है । वर्तमान वर्ष के दौरान, उत्‍तर प्रदेश के 100,000 एमटी आलू की 328 रु0 प्रति क्‍विंटल की दर पर खरीद के एमआईएस प्रस्‍ताव पर सहमति हुई । किसी अन्‍य राज्‍य सरकार ने आलू हेतु एमआईएस के कार्यान्‍वयन के लिए सम्‍पर्क नहीं किया है ।

इसके अलावा, भारत सरकार फलों और सब्‍जियों की उपभोक्‍ताओं को उचित मूल्‍य पर पर्याप्‍त आपूर्ति मुहैया कराना तथा साथ ही किसानों को लाभकारी प्रतिलाभ मुहैया कराना सुनिश्‍चित करने के लिए शीतागारों की स्‍थापना तथा टर्मिनल मण्‍डियों, थोक मण्‍डियों और ग्रामीण प्राथमिक मण्‍डियों/अपनी मण्‍डियों की स्‍थापना किए जाने सहित फसल कटाई पश्‍चात प्रबंधन हेतु अवसंरचना के विकास के लिए पूर्वोत्‍तर तथा हिमालयी राज्‍यों में बागवानी मिशन (एनएमएनईएच) तथा राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) स्‍कीमों के तहत सहायता मुहैया कराती है । इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) आलू सहित बागवानी जिन्‍सों हेतु शीतागारों की स्‍थापना के लिए सहायता मुहैया करता है ।

----